तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	सम्बन्ध व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.5.18	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री [illegible] एवं वकील अप्रार्थी श्री [illegible] एवं शिव कुमार हाजिर हुए। प्रस्तुत दस्तावेजात/शपथपत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण इन्जाम प्रकरण बनता है। प्रविवाद का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में जाहिर होता है। अतः अप्रार्थी को आगामी दिनांक 14/5/18 तक अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा ने पाबन्द किया जाता है कि वह खाता नं० 343, 603, 312, 908, 961, 962, 964 वाकेयात करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) के प्रार्थी के हिस्से आराजी में कोई निर्माण नहीं करें। और एवम् राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्योंकि उक्त आदेश नहीं किया तो दावा सम्मुख कौ दिया जावे? कोई आपत्ति है तो हाजिर अदालत आकर अपना उज्र पेश करें। वास्ते तलबी आगामी वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड डाक तलबी तलबाने पेश करें। जावे हो। वाद तलबी पत्रावली दिनांक 14/5/18 को पेश हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।	
14/5/18	आज पत्रावली न्याय आवेदन पत्र विवाद आदेश की कोर्ट फीस दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थीगण की फीस दावा पत्रावली आज विड्रॉ वापिस की जाती है। राजकाज है ऐसी स्थिति में अग्रिम कार्यवाही बाबत स्टेटस क्वो विड्रॉ करने पत्रावली भी वापिस की जाती है एवं पूर्व में जारी स्थायी आदेश निरस्त किये जाते हैं। फैसला पूरा हो। नकल के काम हो। वादी वकील सलाम मुलाहिजा रहे। मामले आगे मुकर्रर किया।	उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०

अनुप कुमार
पहचानकर्ता
आनी पाल
सरपंच
ग्राम पंचायत, करनीकोट
पं० स० मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner